न्यायालय, उपखाण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :48 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 60)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. विद्या देवी पत्नी सुखा सिंह उर्फ सरवन सिंह जाति बावरी निवासी 5 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 10.03.2025

उपस्थित: 1.श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 02.07.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51 / 51 में वादी के पति के नाम 0.131 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी के पति का नाम सुखा सिंह पुत्र किशनाराम अंकित है। वादी के पति के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम सरवन सिंह दर्ज है। वादिया के पति का वास्तविक नाम सरवन सिंह उर्फ सुखा सिंह है। उक्त दोनों नाम वादिया के पति के ही है। वादिया के पति सुखा सिंह उर्फ सरवन सिंह की मृत्यू दिनांक 15.07.1992 को हो चुकी है। इसलिए उनके नाम दर्ज उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवानी चाहती है। लेकिन जमाबन्दी में एंव अन्य दस्तावेजात में वादिया के पति का नाम भिन्न–भिन्न होने के कारण वादिया को विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। सरवन सिंह व सुखा सिंह एक ही व्यक्ति थे। इस कारण वादिया उक्त जमाबन्दी में अपने पति का नाम सरवन सिंह उर्फ सुखा सिंह घोषित करवाना चाहती है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51 / 51 में अंकित नाम सुखा सिंह पुत्र किशनाराम के स्थान पर सरवन सिंह उर्फ सुखा सिंह पुत्र किशनाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1291 दिनांक 03.06.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 13 एस ए के खाता संख्या 51 की कुल 6.312 हैक्टेयर भूमि में सुखा सिंह पुत्र किशनाराम कौम बावरी 131 / 6312 हिस्सा साकिन धनूर खातेदार दर्ज है। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया अपने पति सुखा सिंह का नाम सरवन सिंह उर्फ सुखा सिंह करवाना चाहती है। जिसके लिए मौके पर जाकर फर्द मौका तैयार किया गया, मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि सुखा सिंह व सरवन सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। सुखा सिंह बचपन का नाम है, व सरवन सिंह सभी दस्तावेज में दर्ज है। वर्तमान में सुखा सिंह की मृत्यू हो चुकी है। साक्ष्यवादी में गवाह गुरमेल सिंह व राम लाल की ओर से शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51 / 51 की प्रति, सरवन सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सदस्यता प्रमाण पत्र की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

छायाप्रति, विद्या देवी के आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 में क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुखा सिंह पुत्र किशनाराम के स्थान पर सुखा सिंह उर्फ सरवन सिंह पुत्र किशनाराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में नाम सरवन सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर जाकर फर्द मौका तैयार किया गया, मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि सुखा सिंह व सरवन सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। सुखा सिंह बचपन का नाम है, व सरवन सिंह सभी दस्तावेज में दर्ज है। वर्तमान में सुखा सिंह की मृत्यू हो चुकी है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ. नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 में क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुखा सिंह पुत्र किशनाराम के स्थान पर सुखा सिंह उर्फ सरवन सिंह पुत्र किशनाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

विद्या देवी बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **48/2025**
निर्णय दिनांक :- 02.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 13 एस ए, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि.क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 51/51 में क्रम संख्या 17 पर अंकित नाम सुखा सिंह पुत्र किशनाराम के स्थान पर सुखा सिंह उर्फ सरवन सिंह पुत्र किशनाराम दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 02.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 02.07.2025
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/2025/458

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)